[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं 23/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 05 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.............(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना का उक्त सारणी के स्तंभ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित या और संशोधन, यथास्थिति, करने का निदेश देती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
1.	22/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 (सा.का.नि. 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2003)	उक्त अधिसूचना में,- (क) प्रारंभिक पैरा में,- (i) "अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा । (ii) खंड क में] " इस अधिसूचना में उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट सभी माल " शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाले कैप्टिव शक्ति संयंत्र जिसके अंतर्गत कैप्टिव उत्पादन सेट भी हैं, के प्रयोगों के लिए

		ईंधन और स्नेहक, कच्ची सामग्री और उपभोज्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन कोई अन्य मद जो अनुमोदन बोर्ड/अंतरमंत्रालयी स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से निर्यात माल के उत्पादन के संबंध में अपेक्षित हो ” रखा जाएगा । (iii) खंड (ख) में “सभी माल जो इस अधिसूचना में उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट हैं” शब्दों और अंकों के स्थान पर “अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित शक्ति जनक समुच्च्य के लिए उच्च गति डीजल तेल” शब्द और अंक रखे जाएंगे और “उपाबंध 3 में यथा विनिर्दिष्ट” शब्दों, अंकों और आंकड़ों के स्थान पर “उपाबंध आ में यथा विनिर्दिष्ट” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे; (iv) खंड (ग) में “सभी माल जो इस अधिसूचना में उपाबंध 4 में विनिर्दिष्ट हैं” शब्दों, अंकों और आंकड़ों के स्थान पर “अंडजनन स्फ्रूटन शाला, जलफार्म, प्रसंस्करण संयंत्र, प्रशीतल एकक और भरण संयंत्र के पूंजीगत माल के लिए और उपस्कर को हथलाने वाली सामग्री जैसे फोर्क लिफ्ट, सिरोफिन क्रेन, चल क्रेन, क्रोलर क्रेन, उत्तोलक और चायक के लिए केन्द्रीय उतपाद शुल्क, 1944(1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाले स्नेहक, स्नेहक जिसके अंतर्गत उपभोज्य और अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित शक्तिजनक समुच्च्य के लए उच्च गति डीजल तेल भी है” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । (v) खंड (घ) में “सभी माल जो इस अधिसूचना में उपाबंध 5 में विनिर्दिष्ट हैं ” शब्दों और अंकों के स्थान पर “केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,

		1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाले हाइड्रोलिक तेल, स्नेहक और उपभोज्य" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । (vi) खंड (ड.) में (अ) "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल " शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल "शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे (आ) "(i)केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से ; (ii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से, यदि कोई हो; और (iii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978(1978 का 40 की धारा 3 के अधीन उन पर उद्दग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से, यदि कोई है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे; (vii) शर्त 5 में "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 का नियम 20" शब्दों और अंकों के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (ख) पैरा 4 में "उपाबंध 5 में यथा विनिर्दिष्ट "शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपाबंध-अ के क्रम संख्या 23 से 53 में यथा विनिर्दिष्ट 30.6.2017 से पहले शुल्क के भुगतान के बिना उपाप्त किया गया"शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (ग) पैरा 5 में,-

		(अ) खंड (क) में, “उपाबंध । में 14 से 26 ” शब्दों और अंकों के स्थान पर “उपाबंध अ में 10 से 22, तारीख 30.6.2017 से पहले शुल्क के भुगतान के बिना प्राप्त किया गया” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (आ) खंड (ख) में “उपाबंध । में 4 से 12 ”शब्दों और अंकों के स्थान पर “उपाबंध अ में 1 से 9 तारीख 30.6.2017 से पहले शुल्क के भुगतान के बिना प्राप्त किया गया ” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (घ) पैरा 6 में, “संख्या 106/58 सीमा शुल्क, तारीख 29 मार्च, 1958” शब्दों और अंकों के स्थान पर “सं. 36/2017-सीमा शुल्क तारीख 30 जून, 2017 ” शब्द और अंक रखं जाएंगे (ड.) पैरा 8 में, पहले परंतुक में,- (अ) खंड (i) में “उत्पाद शुल्क के बराबर किसी रकम या उसके अवक्षयण मूल्य पर और ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर” शब्दों के स्थान पर “उत्पाद शुल्क के बराबर रकम यदि उस पर शुल्क की छूट न हो तो इसके अवक्षयण मूल्य पर ” शब्द रखे जाएंगे ; (आ) खंड (iii) में “उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क” शब्दों के पश्चात् “यदि उस पर शुल्क की छूट न हो ” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और “और ऐसे उत्पाद शुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दरों पर ” शब्दों का लोप किया जाएगा; (च) पैरा (10आ) में , “शुल्क के भुगतान पर”शब्दों के पश्चात् “यदि उस पर शुल्क के भुगतान की छूट न हो तो ” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे; (छ) पैरा 13 के पश्चात् स्पष्टीकरण में ,- (अ) क्रम संख्या (xi) में “प्रक्रिया हस्तपुस्तिका भाग -1 के उपाबंध । से परिशिष्ट 14 ।-छ” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “विदेश व्यापार नीति 2015-20 के उपाबंध का परिशिष्ट 6 च” शब्द रखे जाएंगे ; (आ) क्रम संख्या (xii) में “भाग 2 , 2004-09” शब्दों और अंकों के स्थान पर “2015-20” अंक रखे जाएंगे (ज) उपाबंध 1, उपाबंध 2, उपाबंध 3, उपाबंध 4, उपाबंध 5 के

		स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखे जाएंगे, अर्थात्:- उपाबंध -अ	
		क्र.सं.	माल का वर्णन
		1	कैप्टिव शक्ति संयंत्र जिसके अंतर्गत कैप्टिव जनरेटिंग सेट और वास्तविक आवश्यकता क्षमता के अनुरूप ट्रांसफार्मर भी हैं जो विकास आयुक्त या पदाभिहित पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित हैं (स्टेट्स धारकों के लिए विकास आयुक्त या पदाभिहित अधिकारी द्वारा सिफारिश किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।
		2.	कैप्टिव शक्ति यंत्रों के लिए पुर्जे, ईंधन, स्नेहक, उपभोज्य और उपसाधन जिनके अंतर्गत उक्त अधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित ट्रांसफार्मर के लिए कैप्टिव उत्पादन सैट और पुर्जे, उपभोज्य और उपसाधन भी हैं ।
		3.	कार्यालय उपस्कर जिसके अंतर्गत पीएबीएक्स, फैक्स मशीन, वीडियो प्रक्षेपण प्रणाली, कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, पुर्जे और उसके उपभोज्य भी हैं ।
		4.	कच्ची सामग्री
		5.	संघटक
		6.	उपभोज्य
		7.	पैकेजिंग सामग्री
		8.	औजार, जिग, गज, फिक्सर, सांचे, डाई उपकरण और उनके उपसाधन तथा पुर्जे
		9.	उत्पाद अपयोजनीकरण विकास, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए विद्यमान उत्पादों में से प्रत्येक उत्पाद के लिए आदि प्ररूप या तकनीकी नमूने
		10	फिल्टर
		11	ड्रिप लायर, ड्रिप लाइन, ड्रिप फिटिंग

		12	माइक्रो स्पिंगकलर और मिस्टर्स
		13	कृषि संबंधी स्प्रिंकलर
		14	उर्वरक टैंक
		15	वाल्व
		16	उर्वरक पंप और रासायनिक इंजेक्शन
		17	पादप या उसके भाग, बीज, बाल वृक्ष, कंद
		18	क्रेट ड्रम और परिरक्षण माध्यम (जैसे एसिड अम्ल और सिरका)
		19	श्रेणीकरण सारणियां
		20	ग्रीन हाउस उपस्कर, उपसाधन, तापित रूटिंग टेबल प्रसार ट्रै, सिंडिंग मशीन
		21	उन्नतशील मीडिया जैसे पीअ मास (जिसके अंतर्गत पीट लीटर भी है) (चाहे संपिंडत है या नहीं), पीयरलाइट (वर्मीकुलेट, राकबुल, कोका पेट, हाउड्रॉकार्न, फाम आधारित मध्यम और अन्य जुलाई माध्यम
		22	पूर्व और पश्च फसल कटाई उपचारों के लिए उर्वरक और रसायन जैसे सूक्ष्म पोषक, तत्व, पदप और विकास विनियामक तथा अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो पादप पोषण, कीटनाशी, कवकनाशी, अपतृणनाशी, शाकानाशी में प्रयुक्त होते हैं ।
		23	द्रव चालिक उत्खनक
		24	वातीय संपीडित
		25	जैक हथोडे
		26	द्रवचालित वेधन यंत्र

		27	लाइन वेध्रंन
		28	(फ्रंट छोर भारक) फ्रंट एंड लोडर
		29	वातीय पेषक
		30	हीरातार आरी
		31	ड्रेसिंग मशीन
		32	कोरे वेधन यंत्र
		33	जेट बर्नर
		34	क्रेन
		35	डेरिक
		36	टिप्पर और डम्पर
		37	वेल्डिंग मशीन
		38	जनक समुच्चय
		39	इस्पात की जंजीर और इस्पात के रस्से
		40	डी-शैकल्स
		41	हीरे के तार
		42	हीरे के टुकड़े
		43	टंगस्टन कार्बन ड्रिलर (बरमा) की छड़ें
		44	इस्पात की पंखडियां और बिडले
		45	बर्नर नोजल
		46	वेल्डिंग छड़ें
		47	हाइड्रोलिक तेल और स्नेहक
		48	विस्फोटक सामग्री

		49	छेनी, हथोड़े, चैनपुली ब्लाक
		50	इस्पात पिलोकिट
		51	धूलि संग्राहक
		52	उपभोज्य और औजार
		53	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रम सं. 23 से क्रम सं. 51 में विनिर्दिष्ट संबंधित माल के मूल्य के 5 प्रतिशत के मूल्य तक के पुर्जे
		अनुबंध -आ	
		क्र.सं.	माल का विवरण
		1.	जीवित पशु ।
		2.	शीर्ष 0404 के खोल सहित पक्षियों के अंडे (ताजे) ।
		3.	हरे वृक्ष और अन्य पादप, कंद, जड़ें इत्यादि, कर्तित पुष्प और अलंकृत पर्णसमूह ।
		4.	अध्याय 7 के ताजी वनस्पतियां, संपूर्ण बिना कटी धूप में सुखाई गई वनस्पतियां, ताजी और बिना कटे/धूप में सुखाए गए जड़ और ट्यूबर ।
		5.	अध्याय 8 के ताजे और बिना कटे/धूप में सुखाए गए खाद्य फल और गिरियां ।
		6.	ताजी या धूप में सुखाई गईं पादप या ऐसे पादपों के भाग ।
		7.	रेशम कीट, कोकुंद और अपरिष्कृत रेशम ।
2.	23/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 (सा.का.नि. 266(अ), तारीख 31 मार्च, 2003)	उक्त अधिसूचना में (क) सारणी में,- (i) स्तंभ (3) में, क्र.सं. 3 के सामने "इस सारणी के क्र.सं; 5, 5अ, 6, 7 और 7अ में निर्दिष्ट माल से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;	

		(ii) स्तंभ (4) में, क्रम सं. 22 के सामने "पैरा 4.1.3" शब्द और अंकों के स्थान पर "पैरा 4.03" शब्द और अंक रखे जाएंगे; (iii) स्तंभ (4) में क्रम सं. 23 के सामने "पैरा 4.2 के निबंधनों के अनुसार शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम" शब्द और अंक रखे जाएंगे । (ख) उपाबंध में ,- (i) शर्त (ii) में क्रम संख्या 2 का लोप किया जाएगा (ii) क्रम संख्या 11 के सामने "शुल्क मुक्त पुन:पूर्ति प्रमाण पत्र" शब्दों के स्थान पर "शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम" शब्द रखे जाएंगे । (ग) उपखंड (ii) में स्पष्टीकरण 2 में"पैरा 8.3 (क) और (ख)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "पैरा 7.03(क) और (ख)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
3.	24/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 31 मार्च, 2003 (सा.का.नि. 267(अ), तारीख 31 मार्च, 2003)	अधिसूचना में,- (क) प्रारंभिक पैरा में "अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व का माल अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा 3 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित " शब्दों, अंकों और आंकड़ों का लोप किया जाएगा । (ख) खंड (क) में "और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क " शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. डीजीईपी/ईओयू/40/2017]

(दिनेश कुमार गुप्ता)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण :- 1. मूल अधिसूचना सं. 22/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 31/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 अगस्त, 2016 द्वारा संशोधित की गई थी जो सा.का.नि.-का.आ. 2786(अ), तारीख 24 अगस्त, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

2. मूल अधिसूचना सं. 23/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. 266(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 16/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30.06.2017 द्वारा संशोधित की गई थी जो सा.का.नि.-का.आ. 2786(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

3. मूल अधिसूचना सं. 24/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. 267(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।